अनुदान संख्या 91 - वस्त्रा मंत्रालय
GRANT No. 91–MINISTRY OF TEXTILES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकत-	Voted–					
मूल	Original	2034,58,00		2637,12,00	1873,93,67	–763,18,33
पूरक	Supplementary	602,54,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					129,58,34
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकत-	Voted–					
मूल	Original	1012,17,00		1012,19,00	793,57,17	–218,61,83
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					212,01,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (76318.33 लाख रु.) अगस्त, 2006, और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 60254.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.76318.33 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.60254.00 lakhs obtained in August, 2006 and March, 2007 and constituted 29 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas					
मू.	O.	12795.00				
				. .	. .	. .
पु.	R.	–12795.00				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat-Economic Services					
मू.	O.	1032.00				
				880.00	792.40	–87.60
पु.	R.	—152.00				
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries					
मू.	O.	44029.00				
पू.	S.	502.00		48126.90	46028.70	–2098.20
पु.	R.	3595.90				
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	130941.00				
पू.	S.	59752.00		189408.76	128322.51	–61086.25
पु.	R.	–1284.24				
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments					
मू.	O.	14160.00				
				12238.00	12223.88	–14.12
पु.	R.	–1922.00				

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	401.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–401.00			

(I) 43864.75 लाख रु. का प्रावधान उनत्तीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 43544.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "ग्राम एवं लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग" -

(i) "हथकरघा विकास" - 500.00 लाख रु.;

(ii) "दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना" - 1850.00 लाख रु.;

(iii) "वर्कशेड एवं आवास स्कीम" - 550.00 लाख रु.;

(iv) "कल्याण स्कीम के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को सहायता" - 500.00 लाख रु.;

(ख) "ग्राम एवं लघु उद्योग - रेशम उत्पादन उद्योग - रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" - 3495.00 लाख रु.;

(ग) "उपभोक्ता उद्योग - अन्य" -

(i) "पटसन" - 200.00 लाख रु.;

(ii) "विशेष पटसन विकास निधि" - 300.00 लाख रु.;

(I) Provision of Rs.43864.75 lakhs remained wholly unutilised under twenty nine heads; of these Rs.43544.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" -

(a) "Village and Small Industries - Handloom Industries" -

(i) "Handloom Development" - Rs.500.00 lakhs;

(ii) "Deen Dayal Hathkargha Protsahan Yojana" - Rs.1850.00 lakhs;

(iii) "Workshed-cum-Housing Scheme" - Rs.550.00 lakhs;

(iv) "Assistance to Handloom Weaver under Welfare Scheme" - Rs.500.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries - Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry" - Rs.3495.00 lakhs;

(c) "Consumer Industries - Others" -

(i) "Jute" - Rs.200.00 lakhs;

(ii) "Special Jute Development Fund" - Rs.300.00 lakhs;

(घ) ''ग्राम तथा लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग'' -

(i) ''डिजाइन और तकनीकी उन्नयन'' - 150.00 लाख रु.;

(ii) ''निर्यात संवर्धन'' - 125.00 लाख रु. ;

(iii) ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 600.00 लाख रु. ;

(iv) ''विपणन सहायता और सेवाएं'' - 550.00 लाख रु.; और

(v) ''विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना'' - 125.00 लाख रु.।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(vi) ''ऋण गारंटी स्कीम'' - 150.00 लाख रु.;

(ङ) ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' -

(i) ''परिधान पार्क के लिए एकीकृत स्कीम'' - 2000.00 लाख रु.; और

(ii) ''प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 1500.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग'' -

(क) ''वस्त्र'' - ईएमडी/बीजी को जब्त की गई राशि के अंतर्गत परिधान निर्यात संवर्धन परिषद को सहायता'' - 800.00 लाख रु. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(d) "Village and Small Industries - Handicraft Industries" -

(i) "Design and Technical Upgradation" - Rs.150.00 lakhs;

(ii) "Export Promotion" - Rs.125.00 lakhs;

(iii) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" - Rs.600.00 lakhs;

(iv) "Marketing Support and Services" - Rs.550.00 lakhs; and

(v) "Special Handicraft Training Project" - Rs.125.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(vi) "Credit Guarantee Scheme" - Rs.150.00 lakhs;

(e) "Consumer Industries - Textiles" -

(i) "Integrated Scheme for Apparel Park" - Rs.2000.00 lakhs; and

(ii) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" - Rs.1500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-receipt of proposal from North Eastern Region.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries" -

(a) "Textiles - Assistance to AEPC against forfeited amount to EMD/BG" - Rs.800.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from the Apparel Export Promotion Council.

(ख) ''अन्य - भारतीय पटसन निगम के कर्जों और ब्याज को बट्टे खाते डाला जाना'' - 29749.00 लाख रु. प्रशासनिक अनुमोदन में विलंब होने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3602'' -

(क) ''योजनेतर अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - हथकरघा कपड़े की बिक्री पर हथकरघा अभिकरणों द्वारा दी गई 10% की दर पर एक बार की छूट की प्रतिपूर्ति संबंधी स्कीम'' - 150.00 लाख रु. आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन से स्कीम देर से लागू किए जाने के कारण थे।

(ख) ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम और लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना'' - 250.00 लाख रु. दिल्ली की समिति के कार्यचालन संबंधी जांच रिपोर्ट के प्राप्त न होने के कारण थे।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के अंतर्गत दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' - ''हथकरघा उद्योग - एकीकृत हथकरघा समूह विकास स्कीम'' - 500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 500.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1000.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो विभागीय व्यय वित्त समिति द्वारा अतिरिक्त समूह को शामिल किए जाने संबंधी प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 453.09 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र - प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 53500.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 30000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 83500.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो पर्याप्त प्रस्ताव समय पर प्राप्त न होने के कारण 736.47 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Others - Write off of Loans and Interest to Jute Corporation of India" - supplementary grant of Rs.29749.00 lakhs - due to delay in administrative approval.

(C) Major Head "3602" -

(a) "Non Plan Grants - Village and Small Industries - Handloom Industries - Scheme for Reimbursement of one time rebate @10% given by the Handloom agencies on sale of Handloom Cloth" - Rs. 150.00 lakhs - due to late introduction of the scheme with the approval of Cabinet Committee on Economic Affairs.

(b) "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Village and Small Industries- Handloom Industries – Deen Dayal Hathkargha Protsahan Yojana" - Rs.250.00 lakhs - due to non-receipt of inquiry report on the functioning of the society of Delhi.

(II) Supplementary grants obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2851" - "Handloom Industries - Integrated Handloom Cluster Development Scheme" - the original provision of Rs.500.00 lakhs was augmented to Rs.1000.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.500.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.453.09 lakhs - due to non-finalisation of proposals for inclusion of additional cluster by the Departmental Expenditure Finance Committee.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles - Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" - the original provision of Rs.53500.00 lakhs was augmented to Rs.83500.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.30000.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.736.47 lakhs - due to non-receipt of sufficient proposals in time.

(III) मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - वस्त्र मंत्रालय'' के अंतर्गत 205.44 लाख रु. की बचत (932.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष ''2851'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''हथकरघा उद्योग'' -

(क) ''बुनकर सेवा केंद्र'' - 211.05 लाख रु. की बचत (1715.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुईं।

(ख) ''अखिल भारतीय हथकरघा वस्त्र विपणन सहकारी समिति लिमिटेड को दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना स्कीम के अंतर्गत सहायता'' - 157.22 लाख रु. की बचत (220.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) समिति से दावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ग) ''डिजाइन विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम'' - 183.42 लाख रु. की बचत (435.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को समाप्त कर दिए जाने और व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घ) ''एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना'' - 230.94 लाख रु. की बचत (1300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के निदेशों के अनुसार अग्रिम का आहरण न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''हथकरघा उद्योग'' -

(क) ''प्रशिक्षण और विस्तार'' - 784.84 लाख रु. की बचत (2712.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''विपणन और सेवा विस्तार केंद्र'' - 113.74 लाख रु. की बचत (763.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(III) Under Major Head "3451" - "Secretariat-Ministry of Textiles" - saving of Rs.205.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.932.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Handloom Industries" -

(a) "Weavers Service Centre" - saving of Rs.211.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1715.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Assistance to All India Handloom Fabrics Marketing Co-operative Society Limited under the scheme Deen Dayal Hathkargha Protsahan Yojana" - saving of Rs.157.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.220.00 lakhs) was due to less receipt of proposals from the society.

(c) "Design Development and Training Programme" - saving of Rs.183.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.435.00 lakhs) was due to abolition of vacant posts and non - receipt of viable proposals.

(d) "Integrated Handloom Training Project" – saving of Rs.230.94 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1300.00 lakhs) was due to non - drawal of advance as per directions of Ministry of Finance.

(B) "Handicraft Industries" -

(a) "Training and Extension" - saving of Rs.784.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2712.00 lakhs); and

(b) "Marketing and Service Extension Centres" - saving of Rs.113.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.763.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें रिक्त पदों को न भरे जाने और योजनेतर व्यय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कटौती लागू किए जाने के कारण हुईं।

(ग) ''डिजाइन और तकनीकी उन्नयन'' - 259.20 लाख रु. की बचत (3833.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्मचारियों को अदा किए जाने वाले भत्तों का निर्धारण न किए जाने के कारण हुई।

(घ) ''निर्यात संवर्धन'' - 289.79 लाख रु. की बचत (1551.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्तावों के प्राप्त न होने, रिक्त पदों के भरे न जाने और योजनेतर व्यय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ङ) ''अनुसंधान और विकास'' - 132.27 लाख रु. की बचत (225.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं;

(च) ''जम्मू तथा कश्मीर के लिए एकीकृत विकास पैकेज'' - 228.58 लाख रु. की बचत (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छ) ''ऋण गारंटी स्कीम'' - 343.57 लाख रु. की बचत (350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें स्कीम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने और कार्यान्वयन अभिकरणों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(गा) ''विद्युतकरघा उद्योग - विद्युतकरघा तकनीकी सेवा केंद्र'' - 392.09 लाख रु. की बचत (782.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और योजनेतर व्यय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and mandatory cut imposed by the Ministry of Finance on non-plan expenditure.

(c) "Design and Technical Upgradation" - saving of Rs.259.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3833.00 lakhs) was due to non-settlement of messing allowances to be paid to the staff.

(d) "Export Promotion" - saving of Rs.289.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1551.00 lakhs) was due to non-receipt of sufficient proposals from the implementing agencies, non-filling up of vacant posts and mandatory cut imposed by the Ministry of Finnace on non-plan expenditure.

(e) "Research and Development" - saving of Rs.132.27 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.225.00 lakhs);

(f) "Integrated Development Package for Jammu and Kashmir" - saving of Rs.228.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs); and

(g) "Credit Guarantee Scheme" - saving of Rs.343.57 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.350.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to slow progress in the implementation of the scheme and non-receipt of sufficient proposals from the implementing agencies.

(C) "Powerloom Industries - Technical Service Centres for Powerloom" - saving of Rs.392.09 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.782.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and mandatory cut imposed by the Ministry of Finance on non-plan expenditure.

(V) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''वस्त्र'' -

(क) ''वस्त्र आयुक्त'' 188.75 लाख रु. की बचत (1350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने और सादगी के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''वस्त्र पर उपकर के संग्रहण के अंतर्गत वस्त्र समिति को अदायगियां'' - 1070.49 लाख रु. की बचत (2100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम दावे प्राप्त होने और योजनेतर व्यय पर वित्त मंत्रालय द्वारा अनिवार्य कटौती लागू किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''कपास प्रौद्योगिकी मिशन'' - 7500.00 लाख रु. की बचत (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तकनीकी योजनाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने की वजह से स्कीम के कार्यान्वयन की धीमी प्रगति होने, निविदाएं मंगाए जाने और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियां होने के कारण हुई।

(घ) ''मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति'' - 16016.00 लाख रु. की बचत (28000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कपास पर बाजार सहायता प्रचालन पर अनुमान से कम हानि होने के कारण हुई।

(ङ) ''एकीकृत वस्त्र पार्क'' - 8745.06 लाख रु. की बचत (18900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन में धीमी प्रगति होने और अग्रिम अदायगी जारी न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य - पटसन'' - 1468.37 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 8959.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''योजनेतर अनुदान - ग्राम और लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - हथकरघा कपड़े की बिक्री पर हथकरघा अभिकरणों द्वारा दी गई 10% की दर पर एक बार

(A) "Textiles" -

(a) "Textile Commissioner" - saving of Rs.188.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1350.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and austerity measures.

(b) "Payments to Textile Committee against Collection of Cess on Textile" - saving of Rs.1070.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2100.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the implementing agencies and mandatory cut imposed by the Ministry of Finance on non-plan expenditure.

(c) "Cotton Technology Mission" - saving of Rs.7500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to slow progress in the implementation of the scheme owing to delay in approval of technical plans, calling of tenders and unfavourable weather conditions.

(d) "Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support" - saving of Rs.16016.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.28000.00 lakhs) was due to occurrence of less loss on the Market Support Operation on Cotton than anticipated.

(e) "Integrated Textile Parks" - saving of Rs.8745.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.18900.00 lakhs) was due to slow progress in the implementation of the scheme and non-release of advance payment.

(B) "Others- Jute" - saving of Rs.1468.37 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.8959.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to receipt of less proposals from implementing agencies.

(VI) Under Major Head "3601" - "Non-Plan Grants - Village and Small Industries - Handloom Industries - Scheme for Re-imbursement of one

की छूट की प्रतिपूर्ति संबंधी स्कीम'' - 4145.00 लाख रु. की बचत (6050.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम को देर से दोबारा लागू किए जाने की वजह से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) चार शीर्षों के अंतर्गत 306.54 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत से 74 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान के बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (8177.17 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 602.54 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हथकरघा उद्योग'' -

(i) ''हथकरघा विकास'' - 477.70 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 447.94 लाख रु. था।

(ii) ''विपणन संवर्धन कार्यक्रम'' - 700.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 455.60 लाख रु. था।

(iii) ''हथकरघा बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम'' - 2000.00 लाख रु.।

(ख) ''हस्तशिल्प उद्योग - विपणन सहायता और सेवाएं'' - 667.22 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 568.18 लाख रु. था।

(ग) ''अन्य व्यय - ऊन विकास बोर्ड'' - 170.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र - सूरत में बाढ़ प्रभावित वस्त्र इकाइयों को सहायता'' - 4162.25 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4161.25 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

time rebate @10% given by the Handloom agencies on sale of Handloom Cloth" - saving of Rs.4145.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6050.00 lakhs) was due to receipt of less claims owing to late re-introduction of the scheme.

(VII) Under four heads savings of Rs.306.54 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 20 percent to 74 percent of the sanctioned provision .

2.(I) The above savings were partly (Rs.8177.17 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.602.54 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2851" -

(a) "Handloom Industries" -

(i) "Handloom Development" - Rs.477.70 lakhs. Actual excess, however, was Rs.447.94 lakhs.

(ii) "Marketing Promotion Programme" - Rs.700.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.455.60 lakhs.

(iii) "Health Insurance Scheme for Handloom Weavers" - Rs.2000.00 lakhs.

(b) "Handicraft Industries - Marketing Support and Services" - Rs.667.22 lakhs. Actual excess, however, was Rs.568.18 lakhs.

(c) "Other Expenditure- Wool Development Board" - Rs.170.00 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries- Textiles - Assistance to Flood affected Textiles Unit at Surat" - Rs.4162.25 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4161.25 lakhs .

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हस्तशिल्प उद्योग'' -

(i) ''शिल्पकारों के लिए बीमा योजना स्कीम'' - 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) शिल्पकारों के लिए स्थायी वित्त समिति द्वारा यथानुमोदित बीमा प्रीमियम की अदायगी किए जाने के कारण हुआ।

(ii) ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 106.06 लाख रु. का अधिक व्यय (2700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''रेशम उत्पादन उद्योग - केंद्रीय रेशम बोर्ड'' - 1545.75 लाख रु. का अधिक व्यय (17641.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग'' - अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुआ:-

(क) ''कल्याण स्कीम के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को सहायता'' - 485.88 लाख रु. का अधिक व्यय (500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''वर्कशेड एवं आवास स्कीम के लिए अनुदान'' - 1095.00 लाख रु. का अधिक व्यय (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ग) ''दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना'' - 700.00 लाख रु. का अधिक व्यय (6748.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर

(A) Major Head "2851" -

(a) "Handicraft Industries" -

(i) "Bima Yojana Scheme for Artisans" - excees of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs) was due to the payment of Insurance Premium for Artisans as approved by the Standing Finance Committee.

(ii) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" - excess of Rs.106.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2700.00 lakhs); and

(b) "Sericulture Industries - Central Silk Board" - excess of Rs.1545.75 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17641.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Village and Small Industries- Handloom Industries" - excess occurred under the following heads:-

(a) "Assistance to Handloom Weavers under Welfare Scheme" - excess of Rs.485.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.500.00 lakhs);

(b) "Grants for Workshed-cum-Housing Scheme" - excess of Rs.1095.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs); and

(c) "Deen Dayal Hathkargha Protsahan Yojana" - excess of Rs.700.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6748.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head

उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और विभिन्न राज्य सरकारों से अधिक दावे प्राप्त होने के करण हुआ।

"2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and receipt of more claims from various State Governments.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

3. In the voted portion of the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	700.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–700.00			
मुख्य शीर्ष ''4851'' ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	450.00			
पू.	S.	1.00	1900.00	1835.00	–65.00
पु.	R.	1449.00			
मुख्य शीर्ष ''4860'' उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries				
मू.	O.	2732.00	32.00	31.64	–0.36
पु.	R.	–2700.00			
मुख्य शीर्ष ''6860'' उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	97335.00			
पू.	S.	1.00	78086.00	77490.53	–595.47
पु.	R.	–19250.00			

(I) 1200.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of Rs. 1200.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552'' - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीमें'' - 700.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए निधियों का उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि व्यपगत न होने वाले पूल को अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552" - "Other Expenditure - Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - Rs.700.00 lakhs - due to utilisation of funds by re-appropriation to functional heads for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount to the non-lapsable pool.

(खा) मुख्य शीर्ष "6860'' - "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - द एल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड'' - 500.00 लाख रु. मिल से दावे प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "6860" - "Textiles - Loans to Public Sector and other Undertakings - The Elgin Mills Company Limited" - Rs.500.00 lakhs - due to non-receipt of claims from the Mill.

(II) मुख्य शीर्ष "4860'' - "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - वस्त्र उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1995 की सं. 39 के अनुसार अदायगियां'' के अंतर्गत 2700.36 लाख रु. की बचत (2732.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अदायगी आयुक्त, वस्त्र, नई दिल्ली से दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4860" - "Textiles - Investments in Public Sector and other Undertakings - Payments in terms of Textiles Undertakings (Nationalisations) Act, 1995 No.39 of 1995" - saving of Rs.2700.36 lakhs(against the sanctioned provision of Rs.2732.00 lakhs) was due to non-receipt of claims from the Commissioner of Payment, Textiles, New Delhi.

(III) मुख्य शीर्ष "6860'' के अंतर्गत -

(III) Under Major Head "6860" -

(का) "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय वस्त्र निगम'' - 18750.00 लाख रु. की बचत (25000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्षों के अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(A) "Textiles - Loans to Public Sector and other Undertakings - National Textile Corporation" - saving of Rs.18750.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.25000.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years.

(खा) "अन्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम'' - 580.47 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 71801.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान सहित) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की धीमी गति होने के कारण हुई।

(B) "Others - Loans to Public Sector and other Undertakings - National Jute Manufacturers Corporation" - saving of Rs.580.47 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.71801.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to slow pace of Voluntary Retirement Scheme.

(IV) एक शीर्ष के अंतर्गत 65.42 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 44 प्रतिशत थी।

(IV) Under one head saving of Rs.65.42 lakhs occurred constituting 44 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1134.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4851'' - "हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प

2.(I) The above savings were partly (Rs.1134.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of

भवन सहित भवन का निर्माण'' के अंतर्गत मार्च, 2007 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1134.42 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''4851'' - ''हस्तशिल्प उद्योग - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाएं/स्कीम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 315.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Rs.1.00 lakh in March, 2007 under Major Head "4851" - "Handicraft Industries - Construction of Building including Handicraft Bhawan". Actual excess, however, was Rs.1134.42 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "4851" - "Handicraft Industries - Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - excess of Rs.315.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.